तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर [illegible] अहकाम [illegible] हुक्म [illegible] में ज[illegible]
28-9-19	वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 30-9-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) [उप] जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
30-9-19	वकील उभयपक्ष उप०। दावा वादीगण डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन स्कीम अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिख जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
96/2016	21.9.2016	30-9-2019

1. पुष्पादेवी पुत्री रामविलास, महाजन निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. कान्तीदेवी पुत्री रामविलास, महाजन निवासी तलावडा तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामहेत, महाजन निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी हाल निवासी मोहल्ला श्यामपुरा तहसील कामरेज जिला सूरत (गुजरात)
2. घनश्याम पुत्र सरिया, गुर्जर निवासी कडीपट्टी तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिए उप तहसील तलावडा तहसील गंगापुर——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

श्री प्रेम प्रकाश जोशी,एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 2 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0नं0 302 रकबा 1.25 है0 ग्राम तलावडा की खातेदारी इन्द्राज वादी सं0 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा रहा है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से को प्रतिवादी सं0 2 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.7.2016 को क्रय कर लिया है। इस प्रकार पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य करीब 10 वर्ष पूर्व वाहमी बंटवारा हो चुका था और उसी समय से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण का भूमि ख0नं0 302 का हिस्सा 2/3 उत्तर से दक्षिण, पश्चिम दिशा की ओर तथा प्रतिवादी सं0 1 का ख0नं0 302 का हिस्सा 1/3 उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। उक्त वाहमी बंटवारे को वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वादीगण के हिस्से को बरंग लाल से तथा प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से को नीले रंग से दर्शित किया है। दिनांक 18.9.2016 को प्रतिवादी नं0 2 ट्रेक्टर लेकर आया और वादीगण के हिस्से को जोतने लगा। वादीगण ने उनसे मना किया तो उसने बताया कि मैंने कैलाश से 1/3 हिस्से की भूमि दिनांक 13.7.2016 को खरीद ली है। प्रतिवादी नं0 2 पूर्व बंटवारे अनुसार चली आ रही वादीगण की भूमि पर विवाद करने लगा है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिक्री किया जाकर पक्षकारान का संयुक्त खाताख0नं0 302 रकबा 1.25 है0 में से वादीगण का हिस्सा 2/3 पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण भूमि स्थित ग्राम तलावडा का विधिवत बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का पृथक खाता खोला जावे तथा नजरी नक्शे अनुसार हाल नक्शा ट्रेस में तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उनके अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश जोशी उपस्थित हुए ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 ग्राम तलावडा प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 6.10.2016 को वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के विद्वान वकीलों ने अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम मंगवाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की । जिस पर वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

नायब तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम प्राप्त होने पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारान के मध्य भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है। फलस्वरूप नायब तहसीलदार तहसीलदार तलावडा द्वारा दिनांक 2.11.2016 को तैयार की गई विभाजन स्कीम, जो दिनांक 8.11.2016 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है, के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 302 रकबा 1.25 है0 ग्राम तलावडा का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. वादीगण पुष्पा देवी पुत्री रामविलास, कान्ता देवी पुत्री रामविलास जाति महाजन निवासी तलावडा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 302/1 रकबा 0.83 है0 रहेगी।
2. प्रतिवादी घनश्याम पुत्र श्रीया जाति गुर्जर निवासी कडीपट्टी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 302/2 रकबा 0.42 है0 रहेगी ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

पुष्पादेवी वगैरा बनाम कमलेशी वगैरा, दावा

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30-9-2019 को सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. पुष्पादेवी पुत्री रामविलास, महाजन निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. कान्तीदेवी पुत्री रामविलास, महाजन निवासी तलावडा तह0 गंगापुर सिटी
––वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामहेत, महाजन निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी हाल निवासी मोहल्ला श्यामपुरा तहसील कामरेज जिला सूरत (गुजरात)
2. घनश्याम पुत्र सरिया, गुर्जर निवासी कडीपट्टी तहसील गंगापुर सिटी
3. लैन्ड होल्डर जरिए उप तहसील तलावडा तहसील गंगापुर––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 96/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई प्रेम प्रकाश जोशी, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 302 रकबा 1.25 है0 ग्राम तलावडा का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. वादीगण पुष्पा देवी पुत्री रामविलास, कान्ता देवी पुत्री रामविलास जाति महाजन निवासी तलावडा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 302/1 रकबा 0.83 है0 रहेगी।
2. प्रतिवादी घनश्याम पुत्र श्रीया जाति गुर्जर निवासी कडीपट्टी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 302/2 रकबा 0.42 है0 रहेगी ।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-9-2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा				
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची	
महनताना वकील			महनतानावकील पर	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय			बाबत इजराय	
हुक्मनामा			हुक्मनामा	
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक	
मीजान			मीजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.22 12:35:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: